हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२७-१.२१	
पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 128 के स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध नियम पुस्तक से लिखवाया जाकर बाद रजिस्ट्रार श्रा. मिलान किया जाकर T&R को तरमीम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से दा० हो [signature] सहायक कलक्टर (SDO) खींवसर	

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नोटिस बाद तामिल बावजुद अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या
। नोटिस दिनांक 13.10.2020 को जरिये रजिस्टेड भेजने के बावजुद आज दिनांक तक अप्रार्थी
04 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया की अगर इस समय प्रार्थीगण के खेतो
त्थर गढी नहीं होती है तो फिर बरसात का समय आ जायेगा और फिर एक वर्ष तक हमें
गढी का इतंजार करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमानजी से निवेदन है की इन खेताय का वर्षा से
। नापचौक व पत्थरगढी करवाने का श्रम करावें।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। और पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का
ाकन किया गया । प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण के खेतों का सीमाज्ञान हो चुका है मगर
गढी नहीं होने से पक्षकारान के मध्य विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। पत्रावली पर मौजुद
से प्रार्थीगण उक्त खसरान का रिकोर्डड खातेदार है और Rajasthan Land Revenue Act
की धारा 128 सपठित धारा 111 (Raj. Land Rev. Act) एवं Rule 34 Raj. Land Rev. (
d Record Rules) 1957 के अनुसार खातेदार अथवा गैर खातेदार काश्तकार अपने खेताय का
कन करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवा सकता है। तथा सीमाज्ञान हो जाने से अपनी आराजी
ड़ोसीयों से रोज रोज के विवाद से भी नीजात मिल जायेगी। दोनो पक्षों में माठों को लेकर रोज
के विवाद भी नहीं होगा । अतः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं उक्त सभी समस्याओं का
करण हेतु प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त माठों का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी
ना मेरी राय में उचित है।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया
ा है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिया जाता है की :-

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है की नियमानुसार सींमाकन एवं पत्थरगढी
प्रार्थी से फिस जमा करवाई जाकर मौजा करणू के खेत ख.न. 870/605 रकबा 20.00 बीघा के
ी की सींव माठ का एवं नक्शा रिकार्ड अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढी की जाने के आदेश दिये
ा है।

नोट उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की
। उक्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

सहायक कलक्टर
खींवसर

यह आदेश आज दिनांक 20.1.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
खींवसर